

**अनुदान संख्या 10 - वाणिज्य विभाग**  
**GRANT No. 10 - DEPARTMENT OF COMMERCE**

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -  (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
प्रभारित—	Charged-	50,00	..	-50,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			50,00
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	5215,93,00	6020,81,00	6005,51,68
पूरक	Supplementary	804,88,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-15,29,32
				3,07,00
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत—	Voted-	38,15,00	27,28,55	-10,86,45
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			10,25,50

**टीका और टिप्पणियां**

**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में प्रभारित अंश में एक शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त ₹ 50.00 लाख का विनियोग पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा और अंततः अभ्यर्पित किया गया।

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of ₹50.00 lakhs remained wholly unutilised under one head and was eventually surrendered.

2. अनुदान के राजस्व भाग में स्वीकृत अंश में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए—

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads :-

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -	
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)			
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “3451”	Major Head “3451”				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat- Economic Services				
मू.	O.	15911.00	14716.40	14606.05	
पु.	R.	-1194.60			-110.35
मुख्य शीर्ष “2407”	Major Head “2407”				
पौधरोपण	Plantations				
मू.	O.	67289.00	70996.00	70995.00	
पू.	S.	1.00			-1.00
पु.	R.	3706.00			
मुख्य शीर्ष “2552”	Major Head “2552”				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	7797.00	..	..	
पु.	R.	-7797.00	..	..	
मुख्य शीर्ष “3453”	Major Head “3453”				
विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	Foreign Trade and Export Promotion				
मू.	O.	430596.00	516061.60	514950.63	
पू.	S.	80487.00			-1110.97
पु.	R.	4978.60			

(I) सात शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया ₹7934.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा जिसमें से ₹7797.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹7934.00 lakhs remained wholly unutilised under seven heads; of these ₹7797.00 lakhs accounted for under the following major heads: -

(का) “चाय – अन्य व्यय – बोर्ड, प्राधिकरण और स्वायत्त शासी निकाय” – ₹2902.00 लाख;

(A) “Tea-Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies”- ₹2902.00 lakhs;

(खा) “काफी – अन्य व्यय – बोर्ड, प्राधिकरण और स्वायत्तशासी निकाय” – ₹736.00 लाख;

(गा) “रबर – अन्य व्यय – बोर्ड, प्राधिकरण और स्वायत्तशासी निकाय” – ₹2770.00 लाख;

(घा) “मसाले – अन्य व्यय – बोर्ड, प्राधिकरण और स्वायत्तशासी निकाय” – ₹849.00 लाख; और

(ड) “अन्य व्यय – बोर्ड, प्राधिकरण और स्वायत्तशासी निकाय” – ₹540.00 लाख ।

उपर्युक्त पाँच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए निधियों को कार्यात्मक शीर्षों में पुनर्विनियोग किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा ।

(II) मुख्य शीर्ष “3451” – “सचिवालय – वाणिज्य विभाग” के अंतर्गत – ₹1304.95 लाख की बचत (₹15911.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में परामर्शदाताओं को लेने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई ।

(III) मुख्य शीर्ष “2407” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईं:

(का) “चाय-उपकर संग्रह के प्रति भुगतान – बोर्ड, प्राधिकरण और स्वायत्त शासी निकाय” – ₹1166.00 लाख की बचत (₹8607.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बाहर प्रतिनियुक्ति पर जाने/सेवा निवृत्त होने, संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना का मानदंड पूरा नहीं होने और बकाया राशि के भुगतान के लिए अनुमति नहीं मिलने/अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई ।

(खा) “रबर – उपकर संग्रह के प्रति भुगतान – बोर्ड, प्राधिकरण और स्वायत्त शासी निकाय” – ₹2447.20 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹22842.20 लाख के कुल

(B) “Coffee- Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies”- ₹736.00 lakhs;

(C) “Rubber - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies” - ₹2770.00 lakhs;

(D) “Spices - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies” - ₹849.00 lakhs; and

(E) “Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies” - ₹540.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head “3451” - “Secretariat - Department of Commerce” - saving of ₹1304.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15911.00 lakhs) was due to hiring of less consultants and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Under Major Head “2407” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Tea - Payment against collection of Cess - Board Authorities and Autonomous Bodies” - saving of ₹1166.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8607.00 lakhs) was due to outward deputation/retirement, non-fulfillment of criteria towards grant of Modified Assured Career Progression Scheme and non-approval/finalization of proposal for arrear payment.

(B) “Rubber - Payment against collection of Cess - Board Authorities and Autonomous Bodies” - saving of ₹2447.20 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹22842.20 lakhs including token

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष राशि उपलब्ध होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “3453” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुई:—

(का) “विदेश व्यापार नियंत्रण – विदेश व्यापार महानिदेशालय” – ₹1546.46 लाख की बचत (₹14934.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) क्षेत्रीय प्राधिकरण/विदेश व्यापार महानिदेशालय से कम संख्या में मांग प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कालन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) “व्यापार उपचार और व्यापार रक्षा – व्यापार उपचार महानिदेशालय” – ₹533.55 लाख की बचत (₹2530.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) “निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता – बोर्ड, प्राधिकरण और स्वायत्तशासी निकाय” – ₹1886.40 लाख की बचत (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.40 लाख के कुल सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹26560.40 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कालन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(घा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – बोर्ड, प्राधिकरण और स्वायत्त शासी निकाय” – ₹620.00 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में लाभार्थियों/निवेशकों की पहचान हो पाने के कारण हुई।

(डा) “अन्य व्यय” –

(क) “अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन” – ₹1492.42 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

supplementary grant of ₹0.20 lakh obtained in December, 2023) was due to availability of unspent balances of previous year.

(IV) Under Major Head “3453” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Foreign Trade Control - Director General of Foreign Trade” - saving of ₹1546.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14934.00 lakhs) was due to receipt of less demand from Regional Authorities/Director General of Foreign Trade and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) “Trade Remedies and Trade Defence - Directorate General of Trade Remedies” - saving of ₹533.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2530.00 lakhs); and

(C) “Assistance for Export Promotion and Market Development - Boards, Authorities and Autonomous Bodies” - saving of ₹1886.40 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹26560.40 lakhs including token supplementary grant of ₹0.40 lakh obtained in December, 2023).

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(D) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Boards Authorities and Autonomous Bodies” - saving of ₹620.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to identification of less beneficiaries/investors.

(E) “Other Expenditure” -

(a) “International Conferences” - saving of ₹1492.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to less

आयोजित होने, कम संख्या में दावे प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

number of International Conference, receipt of less claims, reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ख) “बोर्ड, प्राधिकरण और स्वायत्तशासी निकाय” – ₹1934.00 लाख की बचत (₹7100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(b) “Board Authorities and Autonomous Bodies” - Saving of ₹1934.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7100.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹284.21 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान की 44 प्रतिशत थी।

(V) Under one head saving of ₹284.21 lakhs occurred constituting 44 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹11660.65 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसम्बर, 2023 और फरवरी, 2024 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹65988.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

3.(I) The above savings were partly (₹11660.65 lakhs) utilised for augmenting the provisions by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹65988.00 lakhs in December, 2023 and February, 2024 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष “2407” – “मसाले – अन्य व्यय – बोर्ड, प्राधिकरण और स्वायत्त शासी निकाय” – ₹849.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹848.90 लाख हुआ।

(A) Major Head “2407” - “Spices - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies” - ₹849.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹848.90 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष “3453” – “निर्यात सहायिकी – शिपमेंट पूर्व और पश्चात रूपए निर्यात क्रेडिट पर ब्याज तुल्यकरण योजना” – ₹10811.65 लाख।

(B) Major Head “3453” - “Export Subsidy - Interest Equalisation Scheme on Pre and Post Shipment Rupee Export Credit” - ₹10811.65 lakhs.

(II) बचतें भी निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं:

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष “2407” –

(A) Major Head “2407” -

(क) “चाय – अन्य व्यय – बोर्ड, प्राधिकरण और स्वायत्त शासी निकाय” – ₹2902.00 लाख का अधिक व्यय (₹280.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(a) “Tea - Other Expenditure - Board Authorities and Autonomous Bodies” - excess of ₹2902.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹280.00 lakhs);

(ख) “काफी – अन्य व्यय – बोर्ड, प्राधिकरण और स्वायत्त शासी निकाय” – ₹736.00 लाख का अधिक व्यय (₹2475.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(ग) “रबर – अन्य व्यय – बोर्ड, प्राधिकरण और स्वायत्त शासी निकाय” – ₹2770.00 लाख का अधिक व्यय (₹584.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष “2552” से निधियों को कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष “3453” –

(क) “व्यापार प्रतिनिधित्व – व्यापार आयुक्त” – ₹1312.76 लाख का अधिक व्यय (₹23864.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेश स्थित मिशनो को अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) “निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता – निर्यात संवर्धन और बाजार विकास संगठनों को सहायता अनुदान” – ₹1472.68 लाख का अधिक व्यय (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹18000.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेश व्यापार महानिदेशालय के कार्यालय के संबंध में लंबित न्यायालय मामलों और ईंधन शुल्क के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ग) “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – टी एंड टी से संबंधित जी. ए. के संविदाकारी पक्षकारों को अंशदान” – ₹747.59 लाख का अधिक व्यय (₹3800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विश्व व्यापार संगठन में भारत सरकार के अंशदान के लिए अतिरिक्त

(b) “Coffee - Other Expenditure -Board Authorities and Autonomous Bodies” - excess of ₹736.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2475.00 lakhs); and

(c) “Rubber - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies” - excess of ₹2770.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹584.00 lakhs).

Excess under the above three heads were due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head “3453” -

(a) “Trade Representation - Trade Commissioners” - excess of ₹1312.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23864.00 lakhs) was due to requirement of additional funds by missions abroad.

(b) “Assistance for Export Promotion and Market Development - Grant-in-aid to Export Promotion and Market Development Organisations” - excess of ₹1472.68 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹18000.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh obtained in December, 2023) was due to requirement of additional funds towards pending court cases and fuel charges in respect of O/o Directorate General of Foreign Trade.

(c) “International Co-operation - Contribution to the Contracting Parties to the G.A. on T&T” - excess of ₹747.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3800.00 lakhs) was due to requirement of additional funds

निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

towards Government of India's contribution to World Trade Organisation.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष मुख्य शीर्ष "5475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय	Head Major Head "5475" Capital Outlay on Other General Economic Services
मू.	O. 3450.00
पु.	R. -952.00

2498.00                      2467.77                      -30.23

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹1.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilised under one head.

(II) "निदेशन और प्रशासन - संबद्ध कार्यालय - आर्थिक सेवाएं" के अंतर्गत - ₹647.32 लाख की बचत (₹2350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डी. जी. सी. आई. एंड एस. के कार्यालय द्वारा आई. टी. उपकरणों की खरीद नहीं किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(II) Under "Direction and Administration - Attached Offices - Economic Services" - saving of ₹647.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2350.00 lakhs) was due to non-procurement of IT equipments by O/o DGCI&S and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹334.91 लाख की बचत हुई, जो स्वीकृत प्रावधान की 30 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of ₹334.91 lakhs occurred constituting 30 percent of the sanctioned provision.